

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158]	दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26, 2005/कार्तिक 4, 1927	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 533
No. 158]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 2005/KARTIKA 4, 1927	[N.C.T.D. No. 533

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL, TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2005

सं. फा. 19 (512)/परि./सचि./2003/1119.—मोटर वाहन, अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (41) तथा धारा 212 के साथ पठित धारा 207 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(1) ये नियम दिल्ली मोटर वाहन (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2005 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 123 में संशोधन.—दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 123 के उपनियम (7) में “उप-निरीक्षक के रैंक से कम नहीं” शब्दों के स्थान पर “सहायक उप-निरीक्षक के रैंक से कम नहीं” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

विजय एस. मदान, सचिव एवं आयुक्त

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th October, 2005

No. F. 19(512)/Tpt/Sectt./2003/1119.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 207 read with Section 212 and clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 123.—In sub-rule (7) of rule 123 of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, for the words “not below the rank of a Sub-Inspector”, the words “not below the rank of an Assistant Sub-Inspector” shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi

VIJAY S. MADAN, Secy.-cum-Commissioner